

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./344

जगदलपुर, दिनांक 10/02/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू - प्रबंध/व.सं.अ.)

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Project Phase - II Bijapur Forest Division "BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", area 8.706 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/45529/2020

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/भू - प्रबंध/विविध/एल.एम./115-871ए/1891 दिनांक 22/10/2020

2. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर का पत्र क्रमांक/ त.अ./486 दिनांक 02.02.2021

—::000::—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि, Chhattishgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत BharatNet Project Phase - II Bijapur Forest Division "BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", हेतु बीजापुर वनमण्डल के अन्तर्गत रकबा 8.706 हे. वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत ऑनलाईन आवेदन पर संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटित है।

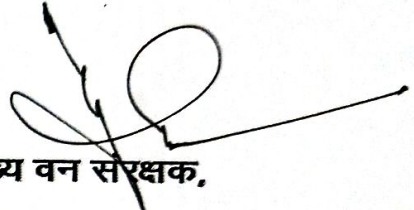
आवेदक संस्थान संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटन में जारी निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा - निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018 से प्राप्त निर्देशानुसार 21 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल ने आवेदक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव में वनमण्डल से संबंधित जानकारी शामिल कर अनुशंसा सहित मय संक्षिप्त टीप के साथ संदर्भित पत्र द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु तीन प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव 03 प्रतियों में मूलतः


मुख्य वन संरक्षक,

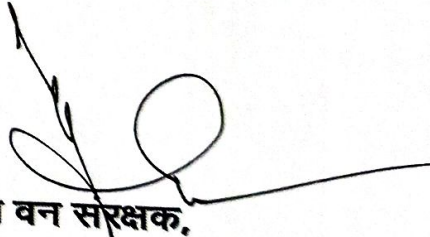
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

पृ.क्र./व.त.अ./ 345

जगदलपुर, दिनांक 10/02/2021

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला - बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/OFC/45529/2020

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई । क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।

आवश्यकता नहीं है।

15. क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।

सहमत।

16. प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें ।

अनुमति दी जाती है।

दिनांक : 10.2.21.

स्थान : जगदलपुर

(मो.शाहिद)

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

10.2.21